ए एस आई चुलबुल पांडे के समर्थन में खड़े उच्चाधिकारी

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में थाना एन आई टी में तैनात ए एस आई सुरेन्द्र स्वामी उर्फ़ चुलबुल पांडे से पाठकों का परिचय कराया गया था। अपने उच्चाधिकारियों के पूर्ण संरक्षण में जनता की लूट-मार में जुटा यह थानेदार अब खुलकर मैदान में आ गया है। यद्यपि इसके कारनामों से दुखी इसके एस एच ओ ने इसे लाइन में भेजने के आदेश दिये थे लेकिन बड़े अधिकारियों की सरपरस्ती के चलते यह न केवल थाने में डटा हुआ है बल्कि अपने विरुद्ध शिकायत करने वाले गुरचरण सिंह पर दबाव बना कर उससे शिकायत वापस लेने का प्रयास कर रहा है।

पूरी तरह से दबंगई पर उतरे इस ए एस आई ने गुरचरण के विरुद्ध एक दरखास्त थाना सेक्टर 31 में दी है। इसमें कहा गया है कि एन आई टी 5 नम्बर निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग गुरचरण उसके घर पर आया और उसकी पत्नी को गालियां दी व जान से मारने की धमकी देकर अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गया। इस मौके पर बतौर गवाह उसने अपनी एक पड़ोसन महिला थानेदार का नाम भी दिया है। विदित है कि सुरेन्द्र स्वामी पुलिस लाइन स्थित अपने सरकारी आवास में रहता है। यदि पुलिस लाइन जैसी सुरक्षित जगह में भी ए एस आई सुरेन्द्र व उसकी पत्नी को जान का खतरा है और वह भी एक बूढे से,, तो लानत है ऐसी पुलिस व ऐसे थानेदरों को।

मजे की बात तो यह है कि न तो ये लोग उस बूढे की मोटरसाइकिल का नम्बर नोट कर सके और न ही 100 नम्बर पर फ़ोन किया और न ही बूढ़े का गला पकड़ कर अड़ोसी-पड़ोसियों को एकत्र किया।

दरअसल ये सब काम तो वे तब करते ना जब कोई उसके घर पर गया होता, जब गया ही कोई नहीं, कहा सुनी कुछ हुई नहीं तो उक्त ये सब काम कैसे करते। बिना कुछ हुए झूठी कहानी बनाने के लिये तो केवल इस तरह की झूठी दरखास्त ही दी जा सकती है, जो सुरेन्द्र ने दे दी है।

चलो सुरेन्द्र ने तो दे दी झूठी दरखास्त। अब थाने वालों की अक्ल क्या घास चरने गयी हुई है जो वहां का एक थानेदार सुखराम आये दिन गुरचरण को फ़ोन करके बुलाता रहता है। सुखराम को चाहिये कि वह पहले मौका मुलाहज़ा करे, नक्शा नज़री बनाये तथा अड़ोस-पड़ोस में रहने वालों के बयान दर्ज करे। इसके बाद तथाकथित आरोपी (गुरचरण) को फ़ोन करे। सुखराम को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कहीं सुरेन्द्र की मदद के चक्कर में खुद चक्कर न खा जाये। सुरेन्द्र ने दूसरी शरारत के तौर पर गुरचरण की बहू (पुत्रवधु) जसमीत, जिससे इनकी मुकदमेबाज़ी चल रही है, से भी एक दरखास्त थाना एन आई टी में दिलवा दी। इसमें कहा गया है कि गुरचरण ने अपने पांच वर्षीय पोते जो जसमीत के साथ रहता है का अपहरण करने का प्रयास किया। इस मामले में थाना एन आई टी के एस एच ओ ने समझदारी का परिचय देते हुए गुरचरण को बुला कर सारी सच्चाई जान ली और झूठी दरखास्त पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें झूठी दरखास्त देने व दिलाने वाले के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी करनी चाहिये थी।

सुधी पठकों ने गतांक में पढा होगा कि गुरचरण ने सुरेन्द्र स्वामी के विरुद्ध दी एक दरखास्त में पुख्ता सबूतों सहित आरोप लगाया है कि उसने उससे 56000की रिश्वत ली थी और नाजायज़ तंग भी किया था। नियमानुसार एवं सबूतों के आधार पर स्वामी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज होना चाहिये था लेकिन उक्त रिश्वत में से बड़ा हिस्सा तो ए सी पी एनआईटी रामचन्द्र राठी का था, इसलिये वह कैसे मुकदमा दर्ज करा दे। यदि इस तरह मुकदमे दर्ज कराने लगे तो कल को कौन मातहत उनको लूट कमाई करके देगा? वैसे भी राठी की नौकरी 4 माह और बची है, ऐसे में एक-एक दिन की कमाई और एक-एक सुरेन्द्र स्वामी बहुत मायने रखता है।

धंधेबाज़ों व पुलिस की मिलीभगत का शिकार एक विधवा

फ़रीदाबाद (म.मो.) कैंसर की मरीज अनिता खुराना विधवा हैं और भरतीय स्टेट बैंक में नौकरी करके अपनी गुजर बसर कर रही हैं। उनकी तीन बेटियां व एक बेटा है तथा सेक्टर 9 में अपना एक मकान है।

9 नवम्बर 2013 को इन्होंने अपने बेटे अमित की शादी एन आई टी के एन एच-2 में रहने वाली कीर्ती नामक एक लड़की से कर दी। लड़की वाले चूंकि निहायत ही ग़रीब होने की वजह से शादी का कोई खर्चा उठाने की स्थिति में नहीं थे लिहाज़ा हर तरह का खर्चा खुद अनिता ने उठाया। हर खर्चे की पेमेंट की रसीद व अन्य सबूत अनिता के पास मौजूद हैं।

शादी के कुछ ही दिन बाद जब अमित पूरी तरह से बहू के काबू में आ गया तो उसने अपनी सास (अनिता) को कहना शुरू किया कि वे दोनों तो अकेले रहना चाहते हैं। इस पर अनिता ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, कहीं और मकान लेकर रह लो। इस पर बहू ने कहा कि वे दोनों तो इसी (सेक्टर 9 के) मकान में रहेंगे तू अपनी बेटियों के साथ जा कर कहीं और रह ले; नहीं तो तेरे ख़िलाफ़ दहेज का मुकदमा दर्ज करा दूंगी।

रोज-रोज की धमकियों से तंग आई अनिता ने एक दिन थाना सेक्टर 8 में इस बाबत दरखास्त दे दी। थाने वालों ने पहले तो अकेली अनिता को ही थाने के चक्कर लगवाये; तीसरी बार में जब बहू अपने मायके से आये 7-8 लोग़ों के साथ थाने पहुंची तो पुलिस के सामने ही अनिता को खूब बुरी तरह से धमकाया। इसका असर यह पड़ा कि वह वहीं गिर पड़ी और थाने के सामने स्थित सर्वोदय अस्पताल में दाखिल होना पड़ा।

इसके बाद अनिता ने अपनी बहू-बेटे को को एनआईटी में ही एक मकान किराये पर लेकर दे दिया। इसका किराया भी खुद अनिता ने ही दिया और देती रही। अनिता ने अपनी एक दुकान में करीब 20 लाख का माल भर कर इन दोनों को दे दिया जिससे वे दोनों अपनी गुजर बसर कर सकें। घूमने फ़िरने को अपनी एक कार भी दे दी। इसके बाद बहू के मायके वालों ने दहेज प्रताड़ना की एक झूठी दरखास्त ए सी पी एन आई टी के दफ्तर में दी दी। यहां के महिला सेल में तैनात इन्सपेक्टर आशा रानी ने अनीता को तलब कर लिया और डांटना फटकारना व डराना-धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस की धमकियों से तंग आई अनिता ने 19 जून को गोल्फ़ क्लब में एक प्रेसर्वाता बुलाकर पुलिस व बहू के मायके वालों की सारी गुंडई बताई।

प्रेसवार्ता की भनक जैसे ही बहू के मायके वालों व इन्सपेक्टर आशा को लगी उसने तुरंत अनिता को फ़ोन करके अपने सेल में तलब किया। अनिता अपनी बेटी आरती के साथ जब वहां पहुंची तो इन्सपेक्टर आशा उन पर बुरी तरह से बरस पड़ी। बहू व उसके मायके वाले भी 8-10 की संख्या में वहां मौजूद थे। बहू पक्ष के सामने आशा, अनिता पर रौब गांठ कर दबाव बनाना चाहती थी ताकि वह समझौता करके बहू पक्ष को कुछ माल-पानी दे दे। यहां बहू पक्ष की एक ही मांग रही कि सेक्टर 9 वाली कोठी व कुछ समझौता राशी उन्हें मिल जाये। जाहिर है आशा रानी यह सब कुछ बहू पक्ष के साथ मिलीभगत के तहत ही कर रही थी। अनिता की बेटी आरती ने जब आशा के इस दुर्व्यवहार का विरोध किया तो आशा ने कुर्सी से उठ कर दोनों मां-बेटी के साथ हाथापाई शुरू कर दी व धक्के दिये जिससे अनिता गिर पड़ी व बादशाह खान अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से उसे बाद में अपोलो रेफ़र कर दिया गया।

कुछ ठीक होने पर अनिता की ओर से थाना एन आई टी में आशा रानी के ख़िलाफ़ मारपीट व दुर्व्यवहार की शिकायत भी दी गयी। अनिता की इस शिकायत पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन आशा रानी ने अनिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की सिफ़ारिश थाना कोतवाली को भेज दी। यहां अत्याधिक गौरतलब बात यह है कि बहू कीर्ति की बड़ी बहन भी अपनी ससुराल वालों से इसी तरह का मुकदमा लड़ रही है, यानी दहेज के झूठे मुकदमे खड़े करना इनका पेशा है।

क्रिया-कर्म में मुख्यमंत्री का आना

फ़रीदाबाद (म.मो.) 16 जून को स्थानीय तारा चंद सलूजा की पत्नी का क्रिया-कर्म राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अजरोंदी शमशान घाट पर हुआ। इसमें शामिल होने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। अच्छी बात है यारों-दोस्तों के सुख में न सही दुख में तो जरूर पहुंचना चाहिये। परन्तु मुख्यमंत्री को इस तरह के मौकों पर पहुंचने से पहले यह भी जरूर सोच लेना चाहिये कि उनके द्वारा इस तरह भाग लेने की क्या कीमत शहर की जनता को चुकानी पड़ती है।

मुख्यमंत्री आगमन के चलते पूरा शमशान घाट व राजमार्ग पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। करीब 6 घंटे तक सैंकड़ों पुलिस वाले यहां पर ताण दिये गये बिना किसी काम के। काम था तो शायद केवल इतना कि कोई मुख्यमंत्री को थप्पड़-घूंसा न जड़ दे। जब मुख्यमंत्री को जनता से इतना ही डर लगता है तो वे घर से निकलते ही क्यों हैं? और फ़िर यह पुलिस की इतनी भारी भरकम सुरक्षा कब तक मिलेगी, केवल अक्तूबर तक (यदि उससे पहले ही न हटा दिये गये तो) उसके बाद क्या होगा?

मुख्यमंत्री महोदय ने शायद कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके इस तरह सड़कों पर विचरने से आम आदमी को कितनी तकलीफ़ होती है? उस दिन राजमार्ग जाम होने से नीलम फ्लाई ओवर तथा उसके पीछे बी के चौक, नीलम-बाटा रोड व रेलवे रोड सहित एन आई टी की अधिकांश सड़कें जाम हो कर रह गयीं। लोग घंटों अपने वाहनों में बैठे मुख्यमंत्री को कोसते रहे। इतना ही नहीं जो पुलिस वाले इस फ़िजूल की ड्यूटी पर तणे खड़े थे वे भी आपसी बातचीत में मुख्यमंत्री को अच्छी भारी भरकम गालियां बक रहे थे।

आखिर यह तारा चन्द्र सलूजा क्या चीज़ है जिसके लिये मुख्यमंत्री इतनी जनता की गालियां खाने को मजबूर है? सलूजा फ़रीदाबाद का सबसे बदनाम पैट्रोल पम्प मालिक है। लेकिन 10-15 साल पहले जब हुड्डा को कोई टके सेर भी नहीं पूछता था तो सलूजा उनकी पूरी सेवा-पानी करता था। सलूजा को पैट्रोल पम्पों से दो नम्बर की अच्छी खासी कमाई होती है। अच्छे दिन आने पर हुड्डा जब मुख्यमंत्री बने तो सलूजा ने भी खूब जम कर चांदी काटी।

सलूजा की दोस्ती से मुख्यमंत्री को न कभी कोई राजनीतिक लाभ हुआ और न ही कभी हो सकता है, हां उसकी काली छवि से मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस को सदैव नुक्सान ही होता आया है। लेकिन अच्छी सेवा-पानी करने वाला चमचा छूटता कहां है!

राशन डिपो आबंटन को लेकर विरोध प्रदर्शन

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 23 जून 2014 को पटेल नगर, सैक्टर-4 बल्लभगढ़ के आर डब्लू ए द्वारा जिला, उपायुक्त फ़रीदाबाद के कार्यालय पर डिपो आवंटन के विरोध एवं बी.पी.एल कार्ड का सर्वे शहरी क्षेत्रों के स्लम बस्तियों में भी करवाने के बारे में प्रर्दशन किया गया। जिसमें पटेल नगर के लोग़ों ने भारी संख्या में भाग लिया। जिसमें मुख्य रूप से पटेल नगर आर डब्लू ए पदाधिकारियों महासचिव, अनिल कश्यप, हरिलाल, मिथलेश कुमार, मनोज पानीवाला, पवन कश्यप, अबुशाद, राजाराम, संजय दास, सर्वोदय व अन्य साथीगण।

पटेल नगर, आर डब्लू ए की तरफ से एक शिकायत 20 फरवरी 2014 को खाद्य आपूर्ति विभाग, फ़रीदाबाद को लिखित में दी गई थी। जिसमें पटेल नगर सेक्टर-4 में राशन का नया डिपो जिसके लिए पटेल नगर के कई लोग़ों ने आवेदन किया था। लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों-के.के. गोयल, संपत सिंह की मिली भगत से यह डिपो ऊंचा गांव निवासी, किशनपाल को आवंटित कर दिया गया।

पटेल नगर सैक्टर-4 में आए बगैर व कार्ड धारकों से पूछे बगैर अधिकारियों की मिली भगत से 150 बी.पी.एल. कार्ड और 200 ए.पी.एल. कार्ड नये डिपो धारक को स्थानांतरण कर दिये गए। जब कि खाद्य आपूर्ति विभाग अन्य लोग़ों को नया डिपो लेने के लिये 600 कार्डों की अनिवार्यता बताते हैं। और इनके पास कुल 350 कार्ड गलत तरीकों से दर्ज कराए गए हैं।

इस बाबत ज़िला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक के.के. गोयल से जानकारी मांगने पर उन्होंने बताया कि ऊंचा गांव के रहने वाले जिस किशनपाल को डिपो आवंटित किया गया है, वह पटेल नगर में ही आकर राशन का वितरण करेगा। उसे अपना डिपो वहीं पटेल नगर में ही खोलना होगा। यदि वह इसकी अवहेलना करेगा तो उसका डिपो रद्द कर दिया जायेगा, यह अफ़वाह ग़लत है कि पटेल नगर के वासियों को राशन लेने ऊंचा गांव जाना पड़ेगा।

सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण

करनाल: (प्रवीण कुमार)

करनाल शहर के दुकानदारों ने अपने सामने वाली सड़के रेहड़ी फड़ीवालों को महगें दामों पर तो बेच ही रखी है लेकिन नगर सुधार मण्डल के इंजीनियर महीपाल ने भी नगरसुधार मण्डल की फुटपाथ तो फुटपाथ, सड़क व बरामदे तक बेच डाले।

बरमदे, फुटपाथ, सड़के सरकार की सम्पत्ति है और जनता की आने जाने की सुविधा के लिये हैं और इन्हें नगर सुधार मण्डल का अधिकाारी बेच सके बिलकुल गलत है। यह जानकारी उच्चाधिकारियों को भी है पर ध्यान कोई भी नहीं देता। जाहिर है इन्हें भी चग्गा-पानी मिल जाता है इसलिये उच्चाधिकारी को मौन तो रहना ही पड़ेगा।

प्राप्त सूचना अनुसार नगर सुधार मण्डल द्वारा निर्मित सब्जी मण्डी की फुटपाथ लोग़ों की सुविधा के लिये आने जाने के लिये बनाई गई थी परन्तु अब उस पर रेहड़ी, कांग्रेस में अपने लिये चुग्गा-पानी न देख कर बीरेन्द्र भाजपा की ओर लपके। सौदेबाज़ी भी हुई। मुख्यमंत्री पद से घर कर मंत्री पद पर ही राज़ी हो गये, क्या करते मजबूरी थी। लेकिन जब भाजपा के जाट नेताओं को पता लगा तो उन्होंने साफ़ कह दिया कि यह चला हुआ कारतूस है। यह पार्टी के लिये बोझ ही साबित हो सकते हैं लाभकारी नहीं।फड़ी खोखे, मनियारी जूता चप्पल, फ्रूट वालों ने स्थायी इन्क्रोचमैन्ट कर कब्जा कर लिया। नगरसुधार मण्डल इन्क्रोचमैन्ट हटाने की बजाये उनसे कब्जा न हटाने की एवज् में मासिक बन्धेज लेनी शुरू कर दी।

दूसरी तरफ जब ट्रेफिक निकलता है तो जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर सुधार मण्डल को बार-बार शिकायतें करने के बावजूद भी इन्क्रोचमैन्ट को नही हटाया जा रहा। हद तो तब हो गई जब सब्जी मंडी के 12 व 18 नम्बर दुकान के आढ़तियों ने अपनी दुकानों के पीछे, सड़क पर किराने के खोखे बनाकर किराये पर चढा दिये।

इस संवाददाता ने नगर सुधार मण्डल के इंजिनियर महिपाल को खोखे बनाते वक्त सूचना दी तो महीपाल ने संवाददाता के साथ मौका देखने के लिये अपना एक कर्मचारी साथ भेज दिया और कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया परन्तु उस पर कोई कार्रवाई न हुई परन्तु करीब 3 माह बाद सब्जी मण्डी की फुटपाथ के करीब तीसरे हिस्से में कुछ दुकानदारों वर्धमान फर्नीचर से लेकर मुलतानी दी हट्टी तक करीब 10-12 दूकानदारों के आगे की सड़क पर से इन्क्रोमैन्ट हटी देख कर हैरानी हुई। इस संवाददाता ने बाकी के हिस्से की इन्क्रौमैन्ट न हटाने के बारे में महीपाल से जानना चाहा कि आपने बाकी के हिस्से की इंक्रौचमैन्ट क्यों नहीं हटाई। इस संवाददाता के पूछने पर कि इन्क्रोमैन्ट तो बाकी फुटपाथ पर भी है वह क्यों नही हटायी गई महीपाल ने कहा कि जब उनकी शिकायतें आयेगीं तब हटा देगें इस संवाददाता ने आरोप लगाते हुये कहा कि शिकायतें तो इसकी आपके कार्यालय में की जा चुकी है और अखबारों में भी समाचार लगते रहे है तथा अभी हाल ही में आपको सब्जी मण्डी के 12 व 18 नम्बर दुकान के आढ़तियों ने अपनी दुकानों के पीछे, सड़क पर किराने के खोखे बना कर किराये पर चढा दिये जिसका मौका भी आपको दिखा दिया तो वह खोखे क्यों नही हटाये गये महीपाल ने कहा कि व्यक्तिगत रंजिश पर हम कार्रवाई नही करते।

उल्लेखनीय है कि कुछ रेहड़ी फड़ी वालों ने महिपाल पर आरोप लगाया है कि महीपाल हमसे मंथली लेता था अब दुकानदारों ने उसे मोटी रकम दे दी, इसलिये हम सब रेहड़ी फड़ी वालो को यहां से हटा दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि महीपाल रिटायर होने के कगार पर है इसलिये दुकानदारों से मोटा माल ले लिया। अन्यथा पहले भी शिकायते होती रहती है तब तो हटायी नही गई और अब क्यों हटाई गई। बाकी बची फुटपाथ के आगे-पीछे दुकानदार है नही जो रुपया इकठ्ठा करके दे सके। जब तक रिटायर नहीं होता रेहड़ी फड़ी वालों से मन्थली तो आ ही रही है। मजे की बात तो ये है कि दुकानदारों को लाभ देने के लिये फुटपाथ पर लगी दोनों ओर के ही ग्रील के ऊपर एंगल लगा का जनता के आने-जाने का रास्ता भी बन्द कर दिया।

नन्दलाल बनाम नगर सुधार मण्डल के एक केस में पब्लिक यूटिल्टी कोर्ट ने भी नेहरू पैलेस के बरामदे में इन्क्रोचमैन्ट से हटाने के 17-5-2013 को आदेश पारित कर रखे हैं उस समय तो नेहरू पैलेस से इन्क्रोचमैन्ट को हटा दिया गया परन्तु पुन: इन्क्रोचमैन्ट हो गई और अब महीपाल कोर्ट के आदेशों के बावजूद चुप्पी साधे बैठे है।

इन्कोचमैन्ट को हटाने के लिये पीपल फॉर जस्टिस के प्रधान जे के शर्मा ने भी अप्रैल 2013 डायरी नम्बर 518 पर नगर सुधार मण्डल में शिकायत दर्ज कराई परन्तु विभाग ने कोई कारवाई नही की।

नगर सुधार मण्डल की पटेल क्लाथ मार्कीट के रास्ते सड़क के बीच में दयाल चन्द ने रेहड़ी लगा रखी है जो रात दिन वहीं सड़क पर ही खड़ी रहती है। चाहे ट्रैफिक को कितनी भी असुविधा हो नगर सुधार मण्डल के अधिकारी को कोई लेना देना नही उन्हें तो सिर्फ अपनी मन्थली से मतलब है।

ज्ञातव्य है कि अशोक कुमार ने नगर सुधार मण्डल से लिखित रूप से दिनांक 29-4-2013 डायरी नम्बर 535 से मांग कि मुझे रेहड़ी फड़ी लगाने की इजाजत दी जाये जिसका मैं किराया देने के लिये तैयार हूं परन्तु आज तक कोई जवाब नही दिया। जवाब दें भी कैसे अगर जगह दी गई तो किराया तो सरकार को मिलना है तो फिर अधिकरी को क्या मिलना है।